

# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन

## जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी अभिवेक गोयल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/09/2018 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 24.04.2018

उनवान

1. श्री नाथू लाल पिता रामचन्द्र जाति बाहमण निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. रमेश चन्द्र पिता रामचन्द्र जाति बाहमण निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. मांगी पिता रामचन्द्र जाति बाहमण निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. गंगा पिता रामचन्द्र जाति बाहमण निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. मोहन लाल पिता श्रीलाल जाति बाहमण निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम पिता बंशी लाल जाति बाहमण निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. बद्री लाल पिता देवी लाल जाति बाहमण निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. बंशी लाल पिता देवी लाल जाति बाहमण निवासी दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 04.06.2019

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन की खाता संख्या 422 में स्थित आराजी संख्या 3369 कुल किता 01 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय-दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर-बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन को संबंधित प्रकरण में 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन की खाता संख्या 422 में स्थित आराजी संख्या 3369 कुल किता 01 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस

प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ ही यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।



(अभिषेक ग़ोयल)  
सहायक कलक्टर व  
उपखण्ड अधिकारी कपासन